शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

सत्रः 2018-19

प्रवेश विवरणिका

मूल्य रु. 30.00

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

प्राचार्य एवं संरक्षक

श्रीमती के.एल. विश्वकर्मा

सत्र : 2018-2019

(1) शिक्षण सत्र दिनांक 01.07.2018 से प्रारंभ होगा।

(2) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा ।

(3) प्रवेश लेने के पश्चात् छात्र/छात्रा अपना-अपना परिचय पत्र एवं लाईब्रेरी कार्ड बनवा लें।

(4) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन छात्र/ छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है। महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।

(5) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

(6) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राएं अपना छात्रवृति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।

(7) अव्यवस्था,अनुशासनहीनता,आन्दोलन/हड़ताल,हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(8) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा।

परिचय-

विज्ञान एक ऐसा प्रवर्ग है जो बच्चों में नवीनता और अधुनातन खोज को बढ़ावा देने में मदद पहुंचाता है। सरगुजा संभाग में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना ने बच्चों में नवीनता और मौलिकता को बढ़ावा देने हेतु जो स्वप्न संयोया था, उसे अब अमलीजामा पहनाने का काम शुरु कर दिया है । 2013-14 सत्र में शुरु होने वाला विज्ञान महाविद्यालय 2015-16 सत्र में स्नातक स्तरीय पहले बैच को पूरा किया । गणित और रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी शुरु हो चुकी है। पहला बैच 2018-19 में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर लेगा। इस महाविद्यालय को संभाग का पहला विज्ञान महाविज्ञान होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह गौरव महाविद्यालय और संभाग के लिये जितना आवश्यक है, उतना ही जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला भी है। इस जिम्मेदारी के निर्वहन में महाविद्यालय प्राचार्य अपने सहयोगियों के माध्यम से लगातार प्रयत्नशील है। महाविद्यालय परिवार का यह प्रयत्न पुरे महाविद्यालय में खुशियों को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ये खुशियाँ छात्रों के प्रयत्न के साथ और भी बढ़ जाती है। महाविद्यालयीन छात्र/छात्रायें भी अपने परिश्रम और कौशल के बल पर महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। महाविद्यालय में संचालित एनएसएस इकाई राष्ट्रसेवा के थीम को वखूबी निभाने में जुटा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत चलने वाली योजनाएँ भी महाविद्यालय स्तर पर लगातार संचालित हो रहीं है। इसके अलावा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों को कैरियर गाईडेन्स से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित कर बच्चों को अपने हुनर को विकसित करने के लिये लगातार प्रयत्न किया जाता है। उम्मीद करते है कि शिक्षक- छात्र सहयोग के माध्यम से महाविद्यालय लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। वर्तमान समय में महाविद्यालय अपने स्वयं के भवन में चलाया जा रहा है। महाविद्यालय में विज्ञान समूह के अंतर्गत विज्ञान विषय के अंतर्गत पांच समूह बनाये गये है। यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर से सम्बद्ध है।

विषय विवरण-

सत्र 2018-19 में बी.एस.सी. प्रारम्भिक कक्षा में निम्नलिखित विषय समूह में प्रवेश दिया जायेगा । सभी विषय समूह में निर्धारित संख्या 60 है ।

1. स्नातक-

1. अनिवार्य विषय-

(1) आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन

छात्र निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय समूह का चैंयन कर सकते है ।

1. बॉयालाजी - रसायन, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र
2. गणित - रयायन, गणित, भौतिक
3. माइक्रोबॉयोलॉजी - रसायन, माइक्रोबॉयोलाजी, प्राणिशास्त्र/ वनस्पतिशास्त्र
4. बायोटेक्नोलाजी- रसायन, बायोटेक्नोलाजी, प्राणिशास्त्र/ वनस्पतिशास्त्र
5. आई.टी.- भौतिक, गणित, आई.टी.

2. स्नातकोत्तर-

विषय-

(1) रसायन शास्त्र (2) गणित निर्धारित सीट 25 है ।

नोट- सत्र 2014-15 से महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें 50 छात्र/छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी ।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त
सत्र- 2018-2019

1. प्रयुक्ति-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होगें तथा समस्त्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि -

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के

प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा।) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा मं प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया इस स्थान ''(ब)'' के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निध ारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हाकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है वहा अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थनांतरण प्रमाण- पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वुसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की

रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबधित छात्र रैंगिन / अनुशासनहीनता / तोडफोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसा गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेगे जहा कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653 / 2014 / 38 1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन, एतद द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छुट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों में कमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय पविर्तन की पात्रता नही होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम / बी.एस.सी.(गृह विज्ञान) बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमशः एम.कॉम / एम.एस.सी.(गृह विज्ञान) / एम.ए.-पूर्व / प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी / एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed to keep terms) नियम -

1. स्नामकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed to keep terms) नियम के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश:-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ पंचय सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रकिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति / अनूसूचित जाति / ओ.बी.सी. हेतु 50% प्राप्त आवेदको को AICTE/ NCTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठयकमों में प्रवेश / संचालन पर संबधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के संदस्य हैं उनकी समस्य परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसा विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठयक्रम संचालित करते है किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/आर्फ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नही है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रुप से मान्य नही होगी।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्ता विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नही है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्ता करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vacational Educational Qualificauon Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठयकमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय प्रत्र कमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार-

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्य महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध करता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण प्रत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण प्रत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेगे।मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं। तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यकमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हो तो उस समय ऐसा विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।''

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागे होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जां रहे विषयों/विषय समूहो में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनकी द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारुप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से विंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों मे स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 10+2 तथा स्नांतक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेट) प्राप्त नियमित आवेदको को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताए :-

91. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदिक कक्षा में नियमित प्रवेश नही लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अर्ह नही माना जावेगा उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नही लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नही हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिन आरोपी छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसा छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4. प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नही होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशिया भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नही होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया गया है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोलर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नही होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट रहेगी। निः शक्त अभ्यर्थी आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि मे लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छॉत्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथत वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक

विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदत विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदक के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त होने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण - छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा -

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु, यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण के प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधन आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत्, अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीट भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1 / 2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1 / 2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी.(सी.) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथोरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि -We direct the centre and the state Government to take steps to treat them as socially and educationaly backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational Institution and for public appointment" का कड़ाई से पालन किया जावे।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा

के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन- पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा एक से अधिक प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.सी.सी./एन.एस.एस. ए सर्टिफिकेट — 02 प्रतिशत

(ख) एन.सी.सी./एन.एस.एस. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 03 प्रतिशत

(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को — 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को — 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठं एन.सी.सी. केडेर

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रुपांकन प्रतियोगिताए :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोपिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3

(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथावा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्र को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्याथियों को मिलेगी जिन्होनें निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष मे प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नामकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक सबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करे प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रुप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपन शोध कार्य चालू रख सकते है जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था शोध कार्य पूर्व हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण-पत्र गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधनीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्व दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणो में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्ककासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीम व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेगे प्रवेश संबधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

आवेदक पत्रक क्र ....

कक्षा ....

अपने वर्ग में (√) करें

सामान्य	पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्पसंख्यक	रक्त समूह

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय ,अम्बिकापुर (सरगुजा)

प्रवेश आवेदन पत्र 2018-2019

200

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएँ एवं हस्ताक्षर करें

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी में) ....
2. पिता का नाम .... माता का नाम ....
3. आवेदक की जन्म तिथि (अंको में) .... (शब्दो में) ....
4. जाति .... व्यवसाय/वार्षिक आय .... धर्म ....
5. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम ....
6. आवेदक का स्थानीय पता .... मोबाइल नं. (स्वयं का) ....
7. आवेदक का स्थायी पता ....
   मो.नं. (पिता का) .... बैंक का नाम .... खाता क्रमांक. ....
8. अभिरूचि (Hobby) 1 .... 2. .... 3. ....
9. लिंग (M/F/TG) ....
10. आधार नम्बर .... ईमेल आई. ....
11. कक्षा जिसमे प्रवेश चाहिए ....
12. प्रवेश हेतु कक्षा के ऐच्छिक विषय 1. .... 2. .... 3. ....
13. विगत परीक्षा का विवरण- (विगत वर्ष) सत्र

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी

दिनांक- ....

....
आवेदक का हस्ताक्षर
पूरा नाम ....

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) .... 2. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) .... 3. अ.जा./अ.ज.जा./पि.वर्ग संबंधित प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति .... 4. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति) 5. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (कक्षा 10 वीं उत्तीर्णा अंकसूची की छायाप्रति) 6. गरीबी रेखा (BPL) अल्पसंख्यक कार्ड/ प्रमाण पत्र क प्रतिलिपि 7. अन्य प्रमाण-पत्र (ब्लड ग्रुप, खेल,एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि)

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अँस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है दिनांक .... तक प्रवेश शुल्क जमा नही करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा। प्रवेश संयोजक	कार्यालयीन उपयोग हेतु :- शासकीय शुल्क रसीद क्र. .... राशि .... अशासकीय शुल्क रसीद क्र. .... राशि .... दिनांक .... शुल्क लिपिक

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं..ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करती रहूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा। तो मैं तुरन्त सूचना दूंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है।मेरे विरूद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरूद्ध काइ न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता ,हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी /पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई,त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.........................

पूरा नाम.........................

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं..यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्री/पाल्या (नाम)..

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैनें महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण,कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैन्दिनी,प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्णत: उतरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूंगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.........................

पूरा नाम.........................

ANNEXURE I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I ....(full name of student with admission/ registration/ enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs/Ms. ...., having been admitted to .... (name of the institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Istitutions 2009 (hereinafter called the Regulations) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I here by solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I here by affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I Have not been expelled or debarred from admission in any institution in the county on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ....day of ....month of ....year.

Signature of deponent

Name...............................

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and do part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.................. (Place) on this the ....(day) of .... (month).................(year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the .... (day) of .... (month) ....(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIOR

ANNEXURE II

AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. ……………………………………………………(full name of parent/ guardian) father/mother/ guardian of…………………………………………………… student with admission/ registration/enrolment number). having been admitted to …………………………………………… (name of institution) have received a copy of the UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (here in after called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained the said Regulations.

2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes raggine.

3) I have also in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/ she is found guilty of or abetting raggine, actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertaken that

a) My ward will not indulge in any behavior or act that my be constituted as ragging under clauses 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that my be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that if found guilty of ragging , my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, with out prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the tiem being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ……………………day of ……….month of ……year.

Signature of deponent

Name……………………………

Address……………………………

Telephone/ M.No………………

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at………….. (place) on this the ………(day) of ……………… (month)……….. (year)

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the …………………………………(day) of …………………(month)………………… (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIOR

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

कार्यालय (ग्रंथालय),प्राचार्य
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय ,अम्बिकापुर (सरगुजा)

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2018-2019

सदस्य संस्था रीडर्स कार्ड संख्या

पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें।

छात्र/छात्रा का नाम..कक्षा...

पिता श्री..

विषय/संकाय..सेवारत..

प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय...स्नातकोत्तर.......................................

दिनांक...

वर्तमान पता:- मकान नं..वार्ड संख्या......................................

ग्राम/शहर..थाना..

तहसील...पोस्ट आंफिस...

जिला...पिन कोड..फोन नंबर................................

मोबाइल नंबर................................

स्थायी पता:- मकान नं...वार्ड संख्या..

ग्राम/शहर..थाना..

तहसील...पोस्ट आंफिस...

जिला...पिन कोड..फोन नंबर................................

मोबाइल नंबर................................

मै...आत्मज...कक्षा..........................

सेवसन...................................सत्र..में...विषय में प्रवेश प्राप्त किया हूं। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता/चाहती हू।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधिश हूं। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूं। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हू। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूंगी/करूंगा। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रू. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करूंगा/करूंगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखुंगा/रखूंगी। विद्रुप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य /पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राशि जमा करूंगा/करूंगी।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाउंगा/जाउंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं है।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध–पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे

मै...आत्मज श्री..

अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य...कक्षा...

ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख–रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थानः–..................... पूरा नाम..

दिनांक............................. मकान नम्बर..

वार्ड..

ग्राम/शहर..

पोस्ट आफिस..

पिन कोड..

फोन नं...

मोबाइल नंबर..

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

ग्रंथपाल

सरगुजा विश्व विद्यालय,अम्बिकापुर (छ0ग0)

(छ0ग0) विश्व विद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित

नामांकन हेतु आवेदन -पत्र

प्रति,

कुल सचिव,

सरगुजा विश्व विद्यालय,अम्बिकापुर (छ0ग0)

महोदय,

निवेदन है कि मैं उच्च शिक्षा के लिए विश्व विद्यालय में अपना नाम अंकित करवाना चाहता/चाहती हूँ। मेरा सरगुजा विश्व विद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0) में नामांकित नहीं हुआ है ,इस हेतु निर्धारित शुल्क भेज रहा हूं।

इस विश्व विद्यालय में महाविश्वविद्यालयीन/अमहा./पूर्व छात्र/छात्रा के रूप में नामांकन क्र............................है। नामांकन शुल्क - 100 रू.30 सितम्बर के बाद तथा सत्र के अन्दर प्रस्तुत आवेदन के साथ रू. 150 अप्रवासन शुल्क अप्रवासन शुल्क - 300 रू. इसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने पर बिलम्ब शुल्क रू. 150 अतिरिक्त देय होगा।

विवरणा निम्नानुसार है:-

1. पूरा नाम (हिन्दी में)...
2. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में...
3. पिता का नाम..माता का नाम.............................
4. जन्म तिथि (हा0से0सर्टि0)...5...............................
6. छ.ग. में निवास कब से कर रहे हैं...
7. प्रस्तावित परीक्षा का नाम...
8. पिछली परीक्षा का विवरण जो उत्तीर्ण है,कक्षा..सत्र........................

   अनुक्रमांक...विश्वविद्यालय/विद्यालय...................................

हायर सेकण्ड्री सर्टिफिकेट की सत्यापित अंक सूची अनिवार्य रूप से संलग्न हो एवं प्रस्तावित परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता देने वाली अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न हो। छ.ग. के बाहर के बोर्ड या वि.वि. से आने वाले छात्र को विश्व विद्यालय से जारी प्रमाण-पत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र सम्मिलित करना होगा।

(समस्त अंक सूची अभिप्रमामित हो) तथा अप्रवासन शुल्क 300 रू.जमा करना होगा।

घर का स्थायी पता :-.. ....

....

....

वर्तमान पता :-..

.... आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पिता का नाम छात्र/छात्रा स्वयं भरें)

श्री/श्रीमती/कुमारी..

पिता का नाम ....

नामांकन किया गया,नामांकन अंक.. है।

कुलसचिव

महाविद्यालय कार्यालय के लिए

विद्यार्थी द्वारा अपने प्रपत्र में लिखा गया विवरण मेरी जानकारी केअनुसार ठीक है क प्रमाण- पत्रों की जिसके आधार पर प्रवेश दिया गया है क मैने स्वयं देखे है और उसकी भलीभांती जांच कर दी है। इस विद्यार्थी ने (परीक्षा का नाम)...

परीक्षा सत्र ....

में .... बोर्ड/वि.वि. से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि वि. वि. से प्राप्त अन्य बोर्ड/वि.वि. परीक्षाओं की समकक्षता सूची के आधार पर यह .... कक्षा में प्रवेश की पात्रता रखता/रखती है।

2. विद्यार्थी को महाविद्यालय से .... तिथि को प्रवेश दिया गया है। छ.ग. वि.वि. अधिनियम 22 वॉ 1976 में वर्णित नियमों का पालन किया गया है। विलम्ब से प्रवेश देने के पूर्व कुलपति जी से वि.वि. के पत्र क्रमांक .... के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर

महाविद्याय के मुहर

टीप-

1. इस नामांकन पत्र में लिखा गया विद्यार्थी का नाम उच्चतर माध्यमिक शाला का प्रमाण-पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट) अथवा वि.वि./ बोर्ड द्वारा निर्गमित प्रमाण-पत्र दिये गये अनुसार होना चाहिए।
2. नाम परिवर्तन हेतु प्रत्याशी हलफनामा व शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करें।
3. इस आवेदन पत्र को छात्र/छात्रा स्वयं भरें एवं अग्रेषित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
4. छ.ग. बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड एवं वि.वि. से आएँ छात्रों को प्रवजन प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. प्रत्येक छात्रों का नामांकन आवेदन पत्र नामावली पत्रक में नाम अंकित होना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक छात्रों को हायर सेकेण्डरी की अंक सूची (सत्यापित) संलग्न करना अनिवार्य है।

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अम्बिकापुर

शुल्क तालिका सत्र 2018-2019

शासकीय एवं अशासकीय शुल्क

शुल्क विवरण	स्नातक विज्ञान
शिक्षण शुल्क	138/-
अवधान राशि	100/-
संघ प्रवेश शुल्क	2/-
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5/-
परिचय पत्र	10/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-
सायकल स्टैण्ड शुल्क	30/-
कामन रूम/वाचनालय	20/-
विभागीय शुल्क	-
आन्तरिक मूल्यांकन शुल्क	50/-
ग्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	5/
जन भागीदारी शुल्क	500/
महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	25/-
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	20/-
क्रीड़ा शुल्क	22/-
सम्मिलित निधि शुल्क	2/-
स्नेह सम्मेलन /वार्षिकोत्सव	10/-
चिकित्सा शुल्क	3/-
नामांकन शुल्क	100/-
युवा गतिविधि शुल्क	17/-
शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-
वि.वि.पुस्तकालय	20/-
रेड क्रास	25/-

रैगिंग दण्डनीय अपराध है

महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखें ।

Aakriti Printer's